निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /CT-88/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) **- I,** वा.क. विकासनगर देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) **- I,** वा.क. विकासनगर देहरादून के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव एवं श्री कलवन्त सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.10.2017 से 29.10.2017 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-**I**

1. **(1)**परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव (स.ले.प.अ.) एवं श्री अशोक कुमार मीना (लेखापरीक्षक) द्वारा दिनांक. 16.03.2017 से 25.03.2017 तक श्री पी.के.गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः –

(ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत 3 वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख मे)
2014-15	6730.92
2015-16	5548.73
2016-17	6466.57

(ii)(स) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(₹ लाख में)

वर्ष	आवंटन		स्थापना व्यय `		अभ्यर्पित राशि
	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	
डी.डी.ओ कार्य नहीं किया जाता है।					

(l) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन नहीं प्राप्त होता है। गैर स्थापना राजस्व संग्रह को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

वित्त सचिव **>** आयुक्त कर, वाणिज्य कर**>** ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर**>** वाणिज्य कर अधिकारी,

3. **(V)** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में निर्माता सेलावुई राजारोड से डाकपत्थर तक मुख्य राजमार्ग के दायी ओर का परिक्षेत्र को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) **- I,** वा.क. विकासनगर देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: डी.डी.ओ कार्य नहीं किया जाता

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (अ)

<u>प्रस्तर- 1 :</u> कर का न्यूनारोपण ₹ 70.**37** लाख एवं अनारोपण ₹ 7.90 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-335/XXVII(5) trade tax/2004 दिनाँक 16.03.2005 के द्वारा घोषित औध्योगिक क्षेत्र में स्थित निर्माता इकाई के द्वारा स्वनिर्मित माल का प्रपत्र-सी के विरुद्ध बिक्री किये जाने पर करदेयता 1% की दर से निर्धारित की गयी थी जो कि निर्माण की तिथि से 05 वर्ष के लिए अनुमन्य थी । पुनः उत्तराखण्ड शासन की विज्ञप्ति संख्या-6222/J.F/2-2001/2000-2001 दिनाँक 25.07.2001 एवं विज्ञप्ति संख्या-822/XXVII(5) व्यापार कर/2004 दिनाँक 03.07.2004 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि निर्माता इकाई जिसका व्यापार स्थल उत्तराखण्ड में है एवं प्लान्ट एंड मशीनरी में पूंजी निवेश ₹ 25 करोड़ से कम हो, के द्वारा स्वनिर्मित माल की प्रपत्र-सी के विरुद्ध बिक्री किये जाने पर करदेयता 1% की दर से निर्धारित की गयी थी ।

(A) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम-2005 की धारा-4(2)(ख)(i)(अ) के अनुसार अनुसूची II(ख) में विनिर्दिष्ट माल पर 5% एवं धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर 13.5% की दर से कर देय है।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.),-I वाणिज्य कर विकासनगर की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में व्यापारी के 31.03.2014 को समाप्त हुये वर्ष के व्यापारिक विवरण अनुसार प्लान्ट एवं मशीनरी कि स्थिति दिनाँक 01.04.2013 को ₹ 56,66,24,861/- एवं दिनाँक 31.03.2014 को ₹ 58,06,40,332/- थी। चूँकि व्यापारी द्वारा दाखिल ऑडिट-रिपोर्ट में फर्म का राज्य के बाहर कोई अन्य यूनिट नहीं होना दिखाया गया है अतः स्पष्ट है कि व्यापारी का प्लान्ट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश ₹ 25 करोड़ से अधिक था। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में प्रपत्र-सी से कुल बिक्री ₹ 70,36,81,196/- पर कर 1% की दर से अदा किया गया था जबकि नियमानुसार बिक्री पर 2% की दर से कर आरोपणीय था। अतः ₹ 70,36,81,196/- पर केंद्रीय बिक्री कर की अंतरीय दर 1% (2-1%) से रु 70,36,812/- कर और आरोपणीय था । चूँकि यह व्यापारी का स्वीकृत कर (1% की दर से) था अतः इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था ।

(B) आगे जाँच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष के दाखिल व्यापारिक विवरण अनुसार व्यापारी द्वारा ₹ 23,30,329/- के प्लान्ट एवं मशीनरी, ₹ 74,37,121/- के वाहन, एवं ₹ 85951/- के कम्प्युटर का विक्रय किया जाना प्रदर्शित किया गया था जबकि कर-निर्धारण आदेश में उक्त पर करारोपण नहीं किया गया था । अतः उक्त विक्रय पर क्रमशः 13.5%, 5% व 5% की दर से ₹ 314594/-, ₹ 371856/- व ₹ 4298/-, इस प्रकार कुल ₹ 6,90,748/- कर आरोपणीय था जो कि आरोपित नहीं किया गया था एवं जिसपर नियमानुसार ब्याज भी देय था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 01 : कर का न्यूनारोपण ₹ 5.81 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 की धारा 3(1) व धारा 3(2) के अनुसार किसी व्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत पंजीकृत है अथवा पंजीयन योग्य है एक कराधेय व्यक्ति होगा और अधिनियम के उपबन्धित रीति के अन्तर्गत कर भुगतान करने के लिए दायी होगा । विज्ञप्ति सं.- 478/2012/10(120)/XXVII(8)/2012 दिनांक 30.05.2012 के उत्तरा टिम्बर की बिक्री पर M or I के बिन्दु पर कर देयता 15% की दर से निर्धारित की गयी है।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क॰नि॰), I,वाणिज्यकर विकासनगर की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में व्यापारी सर्वश्री प्रभागीय वनाधिकारी, टोंस वन प्रभाग, पुरोला (कर निर्धारण वर्ष 2013-14) की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में प्रकाष्ठ की बिक्री ₹2,25,494/- पर 13.5% की दर से कर अदा किया गया था जबकि व्यापारी द्वारा प्रकाष्ठ की ₹ 40,47,128/- की कुल बिक्री की गयी थी एवं 38,48,128/- की बिक्री पर कर अदा नहीं किया गया था । अतः ₹ 38,48,634/- की प्रकाष्ठ की बिक्री पर 13.5% की दर से ₹ 5,77,295/- एवं ₹2,25,494/- की बिक्री पर अंतरीय दर 1.5%(15-13.5) से कर ₹ 3382/- अर्थात कुल कर ₹ 5,80,677/- आरोपणीय था इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया और न ही व्योहारी के ट्रेडिंग व निर्माण खाता की प्रति उपलब्ध करायी गयी ।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 02 :कर का अनारोपण ₹ 0.58 लाख एवं अर्थदण्ड ₹ 1.74 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर 13.5% की दर से कर देय है । धारा 58(xxix) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति झूठा या गलत घोषणा पत्र जारी करता है या देता है जिसके कारण इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बने नियमों या जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत विक्रय या क्रय पर कर न लग सके तो अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुणा धनराशि अर्थदण्ड के रूप में आरोपणीय है ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क॰नि॰), I,वाणिज्य कर विकासनगर की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री मोड़ाहिक प्रा॰ लि॰ का वर्ष 2012-13 का कर निर्धारण दिनाँक 15.02.17 को किया गया था । पत्रावली एवं कर-निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष से ₹ 1,50,03,120/- मूल्य का रॉ/पैकिंग मटिरियल, consumables, कैपिटल गूड्स का आयात किया गया था जिसमे से ₹ 5,86,736/- का प्लान्ट-मशीनरी का आयात किया गया था एवं जिसको कुल खरीद में से कम कर दिया गया था । आगे जाँच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत की गयी बैलेन्स-शीट में फ़िक्स्ड-एसेट के प्लान्ट-मशीनरी के column में मात्र ₹ 1,56,310/- का ही addition किया गया था जो कि ₹ 4,30,426/- कम है । अतः इससे यह ज्ञात होता है कि व्यापारी द्वारा ₹ 4,30,426/- की प्लान्ट-मशीनरी का विक्रय कर दिया गया था जिस पर कर की पूर्ण दर 13.5% की दर से रु 58,108/- का कर आरोपणीय था एवं अधिनियम की धारा 58 (xxix) के अन्तर्गत आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि ₹ (58108x3)= ₹ 1,74,324/- अर्थदण्ड भी आरोपणीय था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 "ख"

प्रस्तर- 03 :कर का न्यूनारोपण ₹ 1.36 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 की धारा-6 की उपधारा-14 के बिन्दु क(iii) के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा की गयी कराधेय विक्रय के सम्बंध में समायोजन, जैसा कि इस धारा में उपबन्धित है, किया जायेगा, जबकि - विक्रय किया गया माल या उसका कोई अंश विक्रय की तारीख से 6 माह के अन्दर विक्रेता व्योहारी को वापस किया गया है ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क॰नि॰), I, वा.क. विकासनगर की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में व्यापारी सर्वश्री कृष्णा ट्रेडर्स , (कर निर्धारण वर्ष 2013-14) की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 4,60,34,934/- की बिक्री की गयी थी जिसमें से ₹ 14,02,360/-की करमुक्त बिक्री सम्मिलित थी । शेष ₹ 4,46,32,574/- की करयोग्य बिक्री थी । व्योहारी द्वारा ₹10,05,254/- का सेल्स-रिटर्न बताया गया था जिसे मान्य करते हुए कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा बिक्री को कम करते हुए शेष ₹ 4,36,27,320/- पर कर का निर्धारण किया गया था ।

आगे पत्रावली की जाँच में पाया गया कि व्योहारी द्वारा दाखिल की गयी त्रैमासिक विवरणियों के अनुसार कुल ₹ 4,60,34,964/-की बिक्री की गयी थी । व्योहारी द्वारा दाखिल किये गये वार्षिक विवरण में ₹10,05,255.21 का सेल्स-रिटर्न दिखाया गया है परन्तु यह संव्यवहार व्योहारी के लाभ-हानि खाते में प्रविष्ट नहीं था एवं न ही उक्त संव्यवहार के सम्बंध में डेबिट/क्रेडिट नोट्स ही पत्रावली पर उपलब्ध थे जिससे लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि उक्त संव्यवहार वास्तविक था अथवा नहीं । लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

अतः उक्त सेल्स-रिटर्न को व्यापारी द्वारा बिक्री मानते हुए ₹ 10,05,255.21 पर 13.5% की दर से ₹ 1,35,709/- रु कर आरोपणीय होगा जिसपर कर जमा कराये जाने की तिथि तक ब्याज भी देय होगा ।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर-04 : कर का अनारोपण ₹ 0.39 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 की धारा- 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर 13.5% की दर से कर देय है ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क॰नि॰), I, वा.क. विकासनगर की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री क्रिस फार्मा (इण्डिया), प्रा॰ लि॰ का वर्ष 2011-12 का कर निर्धारण दिनाँक 10.08.16 को किया गया था । पत्रावली एवं कर-निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 15,85,38,834/- की बिक्री की गयी थी । परन्तु, व्यापारी द्वारा प्रस्तुत की गयी बैलेन्स-शीट के अवलोकन में पाया गया कि व्यापारी द्वारा ₹ 2,87,263/- मूल्य के प्लान्ट-मशीनरी की भी बिक्री की गयी थी एवं जिस पर कर अदा नहीं किया गया था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अतः उक्त बिक्री पर 13.5% की दर से ₹ 38781/- कर आरोपणीय होगा ।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-**III**

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
49/2012-13	01	01,02,03
27/2013-14	-	01,02,04
43/2014-15	-	01,02,03,04
49/2015-16	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11	01,02,03,04,05
53/2016-17	01,02,03,04,05,06	01,02,03,04

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - **I,** वा.क. विकासनगर देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएः
    1. पूर्व वर्ष की भाँति वर्तमान वर्ष की लेखापरीक्षा में भी लेखा परीक्षा वार्तो पर न तो उत्तर दिये गये और न ही वार्ता की गई।

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री आर.एस.पशाची	डिप्टी कमिश्नर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - **I,** वा.क विकासनगर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र